न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 84 / 2020

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

–वादी

बनाम

1. बोगा सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख साकिन खोथांवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. नवदीप सिंह पुत्र बोगासिंह जाति जटसिख साकिन खोथांवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. सन्दीप सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख साकिन खोथांवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीए प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद वादी निम्न प्रकार से है –

यह कि वादी व प्रतिवादी का रजिस्ट्रेड पता शीर्षक में दर्ज है वह सही है। यह कि प्रार्थी श्री नाजम सिंह पुत्र श्री टहल सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद प्रस्तुत कर गांव 31 एमओडी 4 बीएलडब्ल्यु की सीमा पर काटे गये हरे पेड़ो के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है

प्रार्थी नाजम सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय पीलीबंगा की सेवा में सहकारी समिति खोथावाली में हरी बेरी का पेड़ बिना मंजूरी काटने पर मुल्जिमान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व / 2020 / 965 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबन्ध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वादी को निर्देशित किया गया। प्रति संलग्न वाद पत्र है

उक्त प्रार्थना पत्र का जांच उपतहसीलदार गोलूवाला के द्वारा की गई तथा दिनांक 28.07.2021 को रिपोर्ट पेश की गयी। उक्त रिपोर्ट के संलग्न पटवारी हल्का सिंहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार चक 4 बीएलडब्लयु के प0न0 29 / 246 (35) कि0न0 1 / 2, 212,3 / 2, 412, 7ता 14, 17 ता 24, 25 / 2 / 0.051 है0 कुल नहरी 5.061 है0 भूमि नवदीप सिंह पुत्र बोगासिंह 112 हिस्सा सन्दीप सिंह पुत्र बन्ता सिंह 172 हिस्सा, जाति जटसिख साकिन खोथावाली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 संलग्न वाद पत्र

पटवारी हल्का सिंहपुरा की मौका जांच के दौरान मौका पर उपस्थित बोगा सिंह पुत्र मल सिंह ने बाताया एवं स्वीकार किया कि 4 बीएलडब्ल्यु के प०न० 29/246 (35) कि०न० 25 / 2 / 0.051 में एक हरी बेरी का पेड़ था जो कि [illegible] को अपने स्वयं के [illegible] बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बोगा सिंह पुत्र मल सिंह ने उखाड़ना स्वीकार [illegible] मौके पर उखड़े हुए पेड़ के साक्ष्य नही मिले। मौके पर मूंग की फसल खड़ी है, उक्त प्रकरण में सहकारी समिति खोथांवाली के अध्यक्ष जगसीर सिंह ने दूरभाष पर (9929314165) पर सम्पर्क करने पर बताया कि उक्त प्रकरण का सोसायटी द्वारा प्रस्ताव भी लिय गया एवं बताया कि बेरी का पेड़ चक 4 बीएलडब्ल्यु के प0न0 29 / 246 कि0न0 2512 में होना बताया। उक्त बेरी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

पेड़ को 1000/–रूपये में बेचकर राशी को गौशाला खोथावाली को दान देना बताया। मौका संलग्न वाद है।

यह कि उक्त हरे वृक्ष हटाने संबन्धी को स्वीकृति/आज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गई है यह कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति लिए प्रतिबंधित हरे पेड़ों को काटा गया है। यही बिनाय दावा है।

यह कि हरे वृक्षों को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। यह है कि उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति के प्रतिबंधित हरे वृक्ष हटाने के जुर्म में प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत कार्यवाही कर दण्डित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार से है –यह कि दावा की दफा 1 का सिद्ध भार वादी का है। यह कि दावा की दफा 2 का सिद्ध भार वादी का है दावा की दफा का मुझ प्रतिवादी नं. 01 से कोई सरोकार नही है। हस्तगत प्रकरण में नाजम सिंह नाम का व्यक्ति प्रार्थी वादी नही है। यदि सम्पर्क पोर्टल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज की गई है तो वह खारिज किये जाने योग्य है। समपर्क पोर्टल शिकायत के अनुसार यह प्रकरण चलने योग्य नही है। यह कि दावा की दफा 3 अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी नं. 01 के द्वारा कोई बेरी का पेड़ नही काटा गया है। एवं ना ही कोई एसा पेड़ को नायब तहसीलदार गोलूवाला एवं पटवारी हल्का द्वारा जब्त किया गया है एवं ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार कोई काटे गये पेड़ के अलामात पाये गये है। वादा काबिल खारिज है।

यह कि दावा की दफा 4 अस्वीकार है। क्योंकि चक 4 बी.एल. डबल्यू. का पं. नं. 29/246 की दावा की दफा 4 में वर्जित 5.061 हैक् है। कई लोगों की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। जिसमें मुझ अप्रार्थी के नाम कोई हक व हिस्सा दर्ज नही है। जिससे मुझ प्रतिवादी नं. 01 पर पेड़ काटने का झूठा आरोप लगाया गया है। जबकि प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपने दावा के साथ फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का सिंहपुरा दिनांक 28.07.2021 में चक 4 बी.एल.डबल्यू का कि.नं. 25 में एक हरी बेरी का पेड़ काटना बताया है जबकि उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में कोई वर्जन नहीं है कि उक्त कि.नं. 25 किसके नाम रिकोर्ड में दर्ज है व किसके कब्जा काश्त में है। जबकि उक्त चक 4 बी.एल.डबल्यू मेरे पुत्र व सन्दीप सिंह के नाम वर्जित कृषि भूमि में 25/2 की भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य तथ्य निराधार होने से अस्वीकार है।

यह कि दावा की दफा 5 अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा कोई बेरी का पेड़ नही काटा गया है। प्रार्थी/वादी के दावा की दफा 5 में वर्जित किया है। कि मौके पर उखड़े पेड़ के साक्ष्य नही मिले है। एवं ना ही प्रार्थी वादी के द्वारा गौशाला खोथावारली में रूपये दान देने का कोई साक्ष्य पेश किया है। यह कि दावा की दफा 6 अस्वीकार है। यह कि दावा की दफा 7 अस्वीकार है। यह कि दावा की दफा 8 मानने योग्य नही है। यह कि दावा की दफा 9 कानूनी है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब दावा पेश कर निवेदन है वादी का दावा खारिज किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

दावा में प्रतिवादी न. 2 व 3 की ओर से जवाब दावा इस प्रकार से है कि –यह कि दावा की दफा 1 का सिद्ध भार वादी का है। यह कि दावा की दफा 2 का सिद्ध भार वादी का है । हस्तगत प्रकरण में नाजमसिंह नाम का व्यक्ति प्रार्थी वादी नहीं है । यदि पार्टल पर किसी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

...मिति के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायत की गई है। तो वह खारिज किये जाने योग्य है। सम्पर्क पार्टल के अनुसार यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

यह कि दावा की दफा 3 अस्वीकार है। हम प्रतिवादीगण के द्वारा कोई बेरी का पेड़ नहीं काटा गया है। एंव ना ही एसा किसी पेड़ को नायब तहसीलदार गोलूवाला के द्वारा एंव पटवारी हल्का के द्वारा या गिरदावर हल्का जब्त किया गया है। एंव ना ही पटवारी हल्का की रिपोट द्वारा किसी कथित काटे गये पेड़ के कोई अलमात पाये गए है। वादी का दावा काबिल खारिज है ।

यह कि दावा की दफा 4 अस्वीकार है। जबकि तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी एल डब्ल्यू का प.न. 29/246 की 5.061 है. कृषि भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें से हम प्रतिवादी न. 2 व 3 ने कोई पेड़ नहीं काटा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध निराधार दावा पेश किया गया है। जो काबिल खारिज है । वादी के द्वारा प्रस्तुत दावा के साथ फर्द मौका रिर्पाट पटवारी हल्का सिंहपुरा दिनांक 28.07.2021 में चक 4 बी एल डब्ल्यू का कि.न. 25 में एक बेरी का पेड़ काटना बताया है। जबकि मौका रिपोर्ट इसका कोई वर्णन नहीं है कि उक्त कि.न. न. 25 किसके नाम दर्ज है व किसके कब्जा काश्त में है। अन्य तथ्य निराधार होने से अस्वीकार है।

यह कि दावा की दफा 5 अस्वीकार है। हम प्रतिवादी न. 2 व 3 ने कोई पेड़ या कोई बेरी का पेड़ नहीं काटा है। प्रार्थी /वादी द्वारा स्वय वर्णित किया है कि उखडे हुए पेड़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जिससे साबित है कि हम प्रतिवादीगण की भूमि पर से कोई पेड़ नहीं काटा गया है।

यह कि दादा की दका 6 अस्वीकार है। वादी का दावा खारिज किया जावे। यह कि दावा की दफा 7 अस्वीकार है। यह कि दावा की दफा 8 कानूनी है। यह कि दावा की दफा 9 कानूनी है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज किया जाये। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस उभ्य पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवालोकन किया गया। प्रतिवादीगण 2 व 3 की खातेदारी भूमि में पटवारी हल्का सिंहपुरा की मौका जांच के दौरान मौका पर उपस्थित बोगा सिंह पुत्र मल सिंह ने बाताया एवं स्वीकार किया कि 4 बीएलडब्ल्यू के प०न० 29/246 (35) कि०न० 25/2/0.051 में एक हरी बेरी का पेड़ था जो कि दिनांक 12.04.2021 को अपने स्वयं के खेत में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बोगा सिंह पुत्र मल ने उखाड़ना स्वीकार किया मौके पर उखड़े हुए पेड़ के साक्ष्य नही मिले। मौके पर मूंग की फसल खड़ी है चुकि पटवारी हल्का फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेड़ काटा गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि होने के कारण पेड काटने तथा पेड़ काटने में सहयोग के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 150/–रू शासती के दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को एक–एक पेड़ लगाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसी[illegible] निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राशि खजानाराज में जमा करवाया जा[illegible] प[illegible]ली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 29/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा कलेक्टर
पीलीबंगा